

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक: एस्टे/डीईएस/मंत्रा/अ.अ./115/1482

दिनांक 07-06-19

कार्यालय आदेश


विभाग के अधीन कार्यरत निम्नलिखित मंत्रालयिक कार्मिकों को अग्रिम अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने की अनुमति नीचे अंकित शर्तों के अध्वधीन प्रदान की जाती है:-

क्र. स.	नाम कर्मचारी	प्रतियोगी परीक्षा, जिसमें कर्मचारी बैठना चाहता है	विभाग/कार्यालय का नाम
1.	जहीर अब्बास	सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2019, अन्वेषक परीक्षा 2019	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, खेतडी, झुन्झुनू
2.	दिनेश कुमार	आर.ए.एस. 2018 मुख्य परीक्षा	सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, सिरौही
3.	नाहर सिंह मीना	रेलवे भर्ती परीक्षा एन.टी.पी.सी. 2019, रेल्वे ग्रुप डी परीक्षा	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, बामनवास, सवाई माधोपुर
4.	नितुल शर्मा	एम.ए. पूर्वाद्ध (अंग्रेजी) परीक्षा 2019	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, रूपबास, भरतपुर
5.	रमेश कुमार	एम.ए. अर्थशास्त्र, रेलवे भर्ती परीक्षा एन.टी.पी.सी. 2019	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, पदमपुर, श्रीगंगानगर
6.	मनदीप सिंह	प्रोटेक्शन ऑफिसर परीक्षा 2018	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर
7.	नीरज कुमार यादव	रेलवे भर्ती परीक्षा एन.टी.पी.सी. 2019, एस. एस. सी. 10+2 2018 परीक्षा, ई. एस. आई. सी. 2019, ई.पी.एफ.ओ. 2019	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, पहाडी, भरतपुर
8.	दिनेश कुमार लखारा	अन्वेषक कृषि विभाग परीक्षा, रेलवे भर्ती परीक्षा एन.टी.पी.सी. 2019	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, मण्डोर, जोधपुर
9.	गीता कालड़ा	रेलवे भर्ती परीक्षा एन.टी.पी.सी. 2019	सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, श्रीगंगानगर
10.	नितिन शर्मा	एस. एस. सी. संयुक्त स्नातक परीक्षा	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, डीग, भरतपुर

नोट:- अग्रिम अध्ययन हेतु शर्तें निम्नानुसार हैं:-


- राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित /स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।
- विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

4. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
5. अध्ययन के कारण राजसेवक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा अनुमति समाप्त कर दी जावेगी।
6. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन अनुमति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
7. अध्ययन संस्थान में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी।
8. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा, केवल परीक्षा काल के वास्तविक दिनों का ही अवकाश स्वीकृत किया जावेगा।
9. प्रशासनिक कारणों से अध्ययन अनुमति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।


(कुलदीप भटनागर)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1/ संयुक्त निदेशक (आई.टी.सेल.) मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2. संबधित विभाग.....
3. संबधित कार्मिक श्री.....
4. निजी/रक्षित पत्रावली


(सुभाष चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक (प्रशासन)